इंटरनेट और आधुनिक जन संचार के संसाधनों का प्रयोग

इंटरनेट और जनसंचार के दूसरे आधुनिक संसाधनों के बारे में शरई सिद्वांत तय करने के लिए बारहवें सेमिनार में ग़ौर हुआ। यह सेमिनार 11-14 फ़रवरी 2000 ई0 को बस्ती (उ0प्र0) में आयोजित हुआ जिसमें निम्न फ़ैसले किए गए।

1- इस्लाम के प्रचार व प्रसार और उसकी हिफ़ाज़त के लिए हर तरह के मुमकिन उपाय करना उम्मते मुस्लिमा का क़र्ज़ है।

2- (अपने दुशमनों के मुक़ाबले के लिए बस भर ताक़त रखो) के क़ुरआनी निर्देश के अनुसार इस फ़र्ज़ (कर्तव्य) को पूरा करने के लिए नए व पुराने हर तरह के जायज़ संसाधनों और माध्यमों का इस्तेमाल करना दुरुस्त है, बल्कि ज़रूरत व हालात के मुताबिक़ प्रभावी और लाभकारी साधन का इस्तेमाल ज़रूरी है।

3- संचार और सूचना प्रसारण के नए माध्यमों में से रेडियों का इस्तेमाल दीनी मक़सद के लिए करने में कोई शरई रुकावट नहीं है। इसके फ़ायदेमन्द प्रोग्रामों से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है, इसके जायज़ प्रोग्रामों में शरीक भी हुआ जा सकता है, और अच्छे उद्देश्य से खुद अपना रेडियो स्टेशन भी क़ायम किया जा सकता है।

4- बुनियादी तौर पर इंटरनेट आज के ज़माने का सबसे अहम ज़रिया है, उसकी हैसियत अपनी बात दूसरों तक पहूंचाने के लिए एक ज़रिया और वसीला की है, और किसी संचार माध्यम के बारे में शरई निर्देश निर्धारित करते समय यह देखना होगा कि उसका इस्तेमाल किस मक़सद के लिए हो रहा है। माध्यम और साधनों के इस्तेमाल जायज़ मक़सद के लिए जायज़, और नाजायज़ मक़सद के लिए नाजायज़ है। मक़सद के फ़र्ज़, वाजिब या मुस्तहब होने के लिहाज़ से ही किसी साधन और माध्यम का इस्तेमाल फ़र्ज़, वाजिब या मुस्तहब होगा।

इस लिहाज़ से इंटरनेट की अहमियत और उसकी प्रभाव शक्ति को देखते हुए सेमिनार में शरीक लोगों की राय है कि दीनी, दावती और फ़लाही मक़सद के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल एक माध्यम के रूप में जायज़ और कुछ स्थितियों में ज़रूरी है। इसके लिए यह ज़रूरी है कि इसके इस्तेमाल में शरई रूप से वर्जित और निषेध बातों से बचा जाए।

5- टीवी एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आवाज़ के साथ साथ बोलने वालों के चहरे और शरीर भी दर्शकों के सामने आते हैं। कभी लाइव (चलती फिरती) शक्लें दिखाई जाती हैं, और कभी रिकार्ड किए हुए प्रोग्राम पेश किए जाते हैं।

इस मामले में यह मतभेद है कि जो तस्वीर टीवी पर दिखती है वह उस तस्वीर की श्रेणी में है या नहीं जिसको हदीस में मना किया गया है। भारतीय उलमा आमतौर से यह मानते हैं कि यह वही तस्वीर हैं, लेकिन अरब मुल्कों और दूसरे क्षेत्रें के आलिमों का एक वर्ग यह नहीं मानता।

दूसरी समस्या इस बारे में यह है कि टीवी के आम प्रोग्रामों में शरीयत की तरफ़ से मना किए गए काम और बातें प्रसारित होती हैं और कई दूसरी वजहों से टीवी का प्रचलित स्वरूप समाज के लिए नैतिक व भौतिक रूप से हानिकारक है। इस के ज़रिए से अच्छे काम भी लिए जाते हैं और लिए जा सकते हैं। लेकिन इसके नुक़सान इसके फ़ायदों से ज्यादा हैं। इस आधार पर सेमिनार में शरीक लोग आम मुसलमानों को इससे बचने की प्रारण देते हैं।

6- जो चैनल्स दीनी और दावती मक़सद से चलाए जा रहे हैं और अश्लीलता से पाक हैं उनके बारे में सभी लोगों का मानना है कि ऐसे चैनल्स जायज़ हैं, लेकिन कुछ लोग मौजूदा हालात में इसकी इजाज़त देने के तरफ़दार नहीं हैं। इन उलमा के नाम निम्नलिखित हैं:

मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब पालनपूरी

मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब पालनपूरी

मौलाना अब्दुर्रहमान साहब पालनपूरी

मौलाना मुहम्मद हमज़ा साहब गोरखपूरी

मौलाना मुफ्ती मुहम्मद ज़ैद साहब

मौलाना ज़ुबैर अहमद साहब मज़ाहिरुल उलूम

मौलाना बुरहानुद्दीन साहब संभली और मौलाना अरशद साहब क़ासमी की राय है कि अगर डायरेक्ट (लाईव) टेलीकास्ट होगा तो जाइज़ होगा और रिकार्डेड प्रसारित किया जाएगा तो जाइज़ नहीं होगा।

☆☆☆